अध्याय 10

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

10.1 प्रस्तावना (INTRODUCTION)

'व्यापार' शब्द का अर्थ वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन-देन करना है और जब यह लेन-देन विभिन्न देशों के बीच होता है तब इसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। सभी देश अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होते। प्रकृति ने विभिन्न देशों को विभिन्न संसाधनों से सम्पन्न किया है। सामान्यत: एक देश के पास यदि कुछ संसाधन प्रचुर तथा आधिक्य मात्रा में पाए जाते हैं तो कुछ अन्य साधनों की दुर्लभता भी पाई जाती है।

उदाहरण के लिए, खाड़ी देशों के पास खनिज तेल उनकी आवश्यकता से बहुत अधिक पाया जाता है किंतु औद्योगिक वस्तुओं तथा खाद्यान्न की दुर्लभता उन्हें बहुत पीड़ित करती है। ऐसी स्थितियों में आप सीमा पार व्यापार द्वारा अपनी वस्तुओं के आधिक्य (surplus) के बदले उन वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं जो आपके देश में या तो उपलब्ध नहीं हैं, या बहुत दुर्लभ हैं। अत: अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का निहितार्थ अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण है।

एक अर्थव्यवस्था जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न है, एक खुली अर्थव्यवस्था है। एक देश जो व्यापार में शामिल नहीं होता है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है और ऐसी स्थिति जिसमें कोई देश बिना किसी विदेशी व्यापार का संचालन करता है उसे स्वायत्तता कहा जाता है। अन्य देशों के साथ व्यापार से जो लाभ प्राप्त होते हैं उन्हें व्यापार से लाभ कहा जाता है।

10.2 पारस्परिक, अंतर-क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच अंतर (DIFFERENCE BETWEEN INTERNAL, INTER-REGIONAL AND INTERNATIONAL TRADE)

प्रत्येक व्यक्ति को बिना व्यापार के आत्मनिर्भर होना होगा। यदि व्यक्ति सभी भोजन, कपड़े, आश्रय, चिकित्सा सेवाओं, मनोरंजन और विलासिता आदि का उत्पादन करेगा, लेकिन यह विशेष व्यक्ति के लिए असंभव है, इसलिए व्यक्ति के बीच व्यापार लोगों को गतिविधियों में विशेषज्ञ बनाने की अनुमति देता है। जिनमें वे अपेक्षाकृत अच्छी तरह से कर सकते हैं और उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदें जिन पर उनके द्वारा आसानी से उत्पादन नहीं किया जा सकता है। इसे पारस्परिक व्यापार कहा जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी पारस्परिक व्यापार पर आधारित है। प्रत्येक क्षेत्र आत्मनिर्भर होने के लिए मजबूर होगा यदि व्यापार इन क्षेत्रों के बीच मौजूद नहीं है। लेकिन व्यापार उस क्षेत्र में मौजूद है जहाँ प्रत्येक क्षेत्र उन वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में विशेष कर सकता है जिनके लिए उसके पास कुछ प्राकृतिक संसाधन है, मैदानी क्षेत्र उस विशेष माल का उत्पादन कर सकते हैं जो प्राकृतिक

संसाधनों में प्रचुर मात्रा में है। उदाहरण के लिए, मैदानी क्षेत्र विभिन्न खाद्यान्नों का उत्पादन कर सकते हैं जबकि पर्वतीय क्षेत्र खनन और वन उत्पादों के विशेषज्ञ हो सकते हैं।

इसलिए प्रत्येक क्षेत्र उस माल का उत्पादन करता है जिसमें उसके पास कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं या लाभ प्राप्त किया है और व्यापार के अन्य उत्पादों को प्राप्त करता है जब सभी क्षेत्र आत्मनिर्भर होते हैं।

पारस्परिक और अंतर क्षेत्रीय सिद्धांत जिनका उल्लेख राष्ट्रों के मामले में किया गया है उनसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है। लगभग सभी देश अपने निवासियों की खपत की तुलना में कुछ वस्तुओं का अधिक उत्पादन करते हैं। इसी समय, वे उस विशेष वस्तुओं से अधिक का उपभोग करते हैं जिसका उत्पादन कर रहे हैं।

अन्तर्राष्टीय व्यापार उस लाभ को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो अन्तर्राष्ट्रीय विशेषता संभव बनाती है। व्यापार प्रत्येक व्यक्तिगत क्षेत्र या राष्ट्र को उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जो वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए व्यापार करते समय अपेक्षाकृत कुशल पैदा करते हैं कि वे दूसरों की तुलना में कम कुशलता से उत्पादन करेंगे।

10.3 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से तात्पर्य अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण से है (MEANING OF INTERNATIONAL TRADE IS INTERNATIONAL SPECIALIZATION)

व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, विशिष्टीकरण से अभिप्राय किसी विशेष कार्य में अथवा किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में विशिष्ट कौशल या निपुणता प्राप्त करने से है। एक अर्थव्यवस्था के संसाधनों के उपयोग से है जिनसे शेष विश्व की तुलना में देश को निरपेक्ष अथवा तुलनात्मक लागत लाभ प्राप्त है। जब देश के संसाधनों का उपयोग कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में किया जाता है तब विशिष्ट वस्तु का उत्पादन घरेलू जरूरतों से अधिक हो जाने की प्रवृत्ति रखता है। तब अधिशेष का निर्यात कर दिया जाता है।

दूसरी ओर, जब गैर-विशिष्ट क्षेत्रों से साधनों को वापस ले लिया जाता है तब देश की घरेलू जरूरतों के लिए कुछ वस्तुओं का उत्पादन कम पड़ता है। इसके फलस्वरूप इनके आयात की आवश्यकता पड़ती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-निर्यात एवं आयात-अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का ही स्पष्ट परिणाम है। चूँकि अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का सिद्धांत कुछ अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों पर आधारित है जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए थे इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का महत्त्व व्यापार से लाभ में है।

10.4 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के निर्धारक तत्त्व (DETERMINANT OF INTERNATIONAL TRADE)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार या अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं–

1. **प्राकृतिक निधि**–प्राकृतिक निधि अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का आधार है। इससे अभिप्राय एक देश के उस संसाधन से है जो प्रकृति से नि:शुल्क उपहार के रूप में प्राप्त होता है। प्राकृतिक निधि में प्रकृति और भूमि का उपजाऊपन तथा जलवायु सम्बन्धी स्थितियाँ भी शामिल होती हैं। इसलिए भारत और श्रीलंका ने चाय के लिए उपर्युक्त जलवायु स्थितियों के कारण चाय के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त की हुई है।

2. **तकनीकी स्थिति**–अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का एक निर्णायक निर्धारक तत्त्व तकनीकी ज्ञान है। अपनी प्रौद्योगिकी के विकास के कारण, विश्व के विकसित देशों ने प्राकृतिक निधि की सभी रुकावटों पर काबू पा लिया है। उदाहरण के लिए, जापान केवल एक तटीय देश है जिसके पास न के बराबर प्राकृतिक संसाधन आधार है, परन्तु इसकी तकनीकी वरिष्ठता ने मोटरगाड़ी उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत ही विकसित देश की विशिष्टता प्राप्त कर ली है।

3. **लागत अन्तर**–उत्पादन की लागत में अन्तर, अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का वास्तव में मुख्य आधार है। विभिन्न देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं, जिनमें निरपेक्ष अथवा तुलनात्मक लागत अन्तर होता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धा का महत्त्वपूर्ण मापक उत्पादित वस्तुओं की लागत से अलग है।

4. **नई आर्थिक प्रणाली**–बहु-राष्ट्रीय निगमों के माध्यम तथा नई आर्थिक प्रणाली के उदय होने से विश्व बाज़ार के वैश्वीकरण (Globalisation) ने विभिन्न राष्ट्रों को शेष विश्व के साथ समन्वित होने के लिए बाध्य कर दिया है, जिससे विशिष्टीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्त्व बढ़ गया है।

10.5 अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ (ADVANTAGES OF INTERNATIONAL TRADE)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा विशिष्टीकरण के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं–

1. **प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग**–अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के कारण प्राकृतिक साधनों का संपूर्ण उपयोग किया जा सकता है। अल्पविकसित देश अपने खनिज पदार्थों का स्वयं उपयोग करने की स्थिति में नहीं है। ये देश अपने कच्चे माल का निर्यात विकसित औद्योगिक देशों में करते हैं।

2. **सस्ती वस्तुएँ**– अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के कारण सभी देशों को कम कीमतों पर वस्तुएँ उपलब्ध हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक देश उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनके बनाने में तुलनात्मक लागत कम आती है। तदनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण या व्यापार ने उच्च स्तर की खपत को सुविधाजनक बनाया और इसलिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता हुई।

3. **अतिरिक्त उत्पादन**– अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के कारण प्रत्येक देश को अपने अतिरिक्त उत्पादन को बेचने का अवसर मिलता है। कुछ देश वस्तुओं का उत्पादन अपनी आवश्यकता से अधिक कर लेते हैं। इन अतिरिक्त वस्तुओं को अन्य देशों में बेचकर कीमतों में होने वाली कमी को रोका जा सकता है।

4. **थोक उत्पादन और पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ**– अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के कारण विभिन्न देश अकेले उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञ हैं जिनमें वे अनुकूल उत्पादन की स्थिति का आनंद लेते हैं। परिणामस्वरूप वस्तुओं का बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं के साथ कम कीमत पर बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। मक्कोनल के शब्दों में, ''अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का ऐसा साधन है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं और इससे बड़े उत्पादन का एहसास हो सकता है।''

5. **आर्थिक विकास की संभावना**– किसी भी देश का आर्थिक विकास अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करता है। अल्पविकसित देश विकसित देशों से मशीनरी, तकनीकी ज्ञान तथा अन्य सहायक उपकरणों का आयात करके उपलब्ध प्राकृतिक साधनों तथा कच्चे माल का इष्टतम अथवा अनुकूलतम उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार उत्पादन के बढ़ाने में वे सक्षम हो सकते हैं और आर्थिक विकास की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। रॉबर्टसन के अनुसार, ''अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संवृद्धि का इंजन है।''

6. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग**– अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण विभिन्न देशों में परस्पर सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देता है। यह व्यापारिक देशों के बीच सद्भावना, सौहर्दपूर्णता और मित्रता की भावना को जागृत करता है। हेनरी गोमज के शब्दों में, ''अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण लोगों को सभ्य बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है।''

10.6 व्यापार से लाभ (BENEFITS FROM TRADE)

व्यापार या दी गई लागत के साथ विशिष्टीकरण से लाभ

व्यापार से प्राप्त लाभ अलग-अलग सिद्धांत पर निर्भर करता है जिसके बारे में नीचे चर्चा की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की लागत में अंतर होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है। लागतों में अंतर निम्न प्रकार का हो सकता है–

लागतों में निरपेक्ष अंतर

एड्म स्मिथ ने निरपेक्ष अंतर लागत सिद्धान्त दिया। इस सिद्धांत के अनुसार, विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की लागत में निरपेक्ष अन्तर अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण व्यापार के पीछे मूल कारण है। लागतों में निरपेक्ष अन्तर उस समय पाया जाता है जबकि कोई एक देश किसी वस्तु को, दूसरे देश की तुलना में, काफी कम लागत पर उत्पन्न कर लेता है तथा दूसरा देश किसी अन्य

वस्तु को पहले देश की तुलना में काफी कम लागत पर उत्पन्न कर लेता है। यह तब संभव होता है जबकि एक देश में विशेष प्रकार की भूमि, जलवायु, परिस्थितियाँ तथा सुविधाएँ पाई जाती हैं। इस प्रकार एक देश एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करके उसका अधिक उत्पादन करता है और उसका निर्यात करता है तथा दूसरी वस्तु का दूसरे देश से आयात करता है जिसमें कि दूसरा देश विशिष्टता प्राप्त करता है। इसको तालिका द्वारा आगे और स्पष्ट किया गया है–

तालिका

दो देशों की लागतों में निरपेक्ष अन्तर

देश	चावल	गेहूँ
भारत	2	4
नेपाल	4	2
कुल	6	6

तालिका से स्पष्ट है कि भारत में श्रम की 1 इकाई द्वारा 2 इकाइयाँ चावल या 4 इकाइयाँ गेहूँ उत्पन्न किया जाता है, जबकि नेपाल में श्रम की 1 इकाई द्वारा 4 इकाइयाँ चावल या 2 इकाइयाँ गेहूँ उत्पन्न किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि

भारत में 1 इकाई चावल = 2 इकाइयाँ गेहूँ

नेपाल में 1 इकाई चावल = 0.5 इकाई गेहूँ

उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि भारत को गेहूँ के उत्पादन में और नेपाल को चावल के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की एक आवश्यक शर्त है कि दो देशों के बीच वस्तुओं की उत्पादन लागत का अनुपात भिन्न होना चाहिए।

भारत में गेहूँ के लिए चावल का लागत अनुपात 1:2 है और नेपाल में यह 1:0.5 है। यदि ये दोनों देश दोनों वस्तुओं का ही उत्पादन करें और परस्पर व्यापार न हो तो दोनों देशों में दो दिन के श्रम के फलस्वरूप गेहूँ का कुल उत्पादन 6 इकाइयाँ और चावल का कुल 6 इाकइयों का उत्पादन ही होगा। मान लीजिए भारत गेहूँ में तथा नेपाल चावल में विशिष्टता प्राप्त करते हैं और व्यापार करते हैं। इसे चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

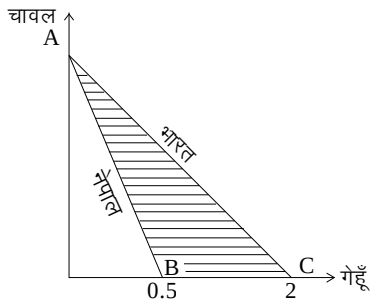

चित्र 10.1

ऊपर चित्र में AB नेपाल की और AC भारत की उत्पादन संभावना वक्र है। उत्पादन संभावना वक्र से यह ज्ञात होता है कि उत्पादन के साधनों की एक निश्चित मात्रा का उपयोग करने से किसी वस्तु की एक इकाई का अधिक उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। इन रेखाओं के ढ़लान द्वारा विभिन्न वस्तुओं की अवसर लागत (opportunity cost) स्पष्ट हो जाती है अवसर लागत से अभिप्राय यह है कि किसी वस्तु की एक अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। यह चित्र सामान लागत के नियम पर आधारित है। इसीलिए उत्पादन संभावना रेखाएँ सीधी रेखाएँ हैं। AB रेखा से ज्ञात होता है कि यदि नेपाल चावल की 1 इकाई का उत्पादन करता है तो उसे गेहूँ की 0.5 इकाई का त्याग करना होगा। इसलिए यदि उसे चावल की एक इकाई देकर गेहूँ की 0.5 इकाई से अधिक प्राप्त हो जाती है तो उसे लाभ होगा। इसी प्रकार AC रेखा से ज्ञात होता है कि यदि भारत चावल की 1 इकाई का उत्पादन करेगा तो उसे गेहूँ की 2 इकाई का त्याग करना पड़ेगा, इसलिए यदि भारत को गेहूँ की 2 से कम इकाई देने पर चावल की 1 इकाई प्राप्त हो जाती है तो भारत को गेहूँ का उत्पादन करने में लाभ होगा। चित्र में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभों को ABC क्षेत्र की सहायता से प्रदर्शित किया गया है। इन दोनों देशों में लाभ का बंटवारा दोनों देशों के बीच स्थापित व्यापार की शर्तों के आधार पर होगा। व्यापार की शर्तें प्रत्येक वस्तु के लिए सम्बन्धित देशों में अनुवर्ती माँग (Reciprocal Demand) द्वारा निर्धारित होती हैं।

10.7 तुलनात्मक लागत लाभ का सिद्धान्त (COMPARATIVE COST ADVANTAGE THEORY)

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की विवेचना प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने अपनी पुस्तक 'राजनीतिक अर्थव्यवस्था और कराधान के सिद्धान्त (Principles of Political Economy and taxation)', में की थी। इस सिद्धान्त को तुलनात्मक लाभ का सिद्धान्त भी कहा जाता है। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धान्त बतलाता है कि व्यापार करने वाले देशों को उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेनी चाहिए जिसे वे दूसरी वस्तुओं की तुलना में कम लागतों पर उत्पादित कर सकते हैं। सिद्धान्त के अनुसार विशिष्टीकरण और स्वतन्त्र व्यापार न केवल सभी व्यापारिक सहभागियों को लाभ पहुँचाएगा, बल्कि उनको भी लाभ प्रदान करेगा जो निरपेक्ष रूप से कम कुशल उत्पादक है।

तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है–

1. केवल दो देश हैं और वे दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं।
2. उत्पादन का एक मात्र साधन श्रम है और उत्पादन लागत को श्रम की इकाइयों में मापा जाता है।
3. श्रम की सब इकाइयाँ एक समान हैं।
4. उत्पादन पर समान प्रतिफल का नियम लागू होता है।

5. उत्पादन के साधन देश के अन्दर पूर्णतया गतिशील है, परन्तु दो देशों के बीच पूर्णतया गतिहीन है।
6. यातायात की कोई लागत नहीं है।
7. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सभी सरकारी नियन्त्रणों से मुक्त है।
8. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे सभी देशों में पूर्ण रोजगार है।
9. वस्तु बाज़ार तथा साधन बाज़ार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता है।

लागतों में तुलनात्मक अन्तर

लागतों में तुलनात्मक अंतर डेविड रिकार्डो द्वारा दिया गया है। रिकार्डो के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य कारण लागतों का तुलनात्मक अंतर है। लागतों के तुलनात्मक अंतर से अभिप्राय यह है कि एक देश दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन अन्य देश की तुलना में कम लागत पर कर सकता है, परन्तु उसे दोनों में से एक का उत्पादन करने में तुलनात्मक लाभ अधिक है, जबकि दूसरी वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ कम है। दूसरा देश दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन अधिक लागत पर करता है, परन्तु उसकी दोनों में से एक वस्तु का उत्पादन करने में तुलनात्मक हानि कम है जबकि दूसरी वस्तु का उत्पादन करने में तुलनात्मक हानि अधिक है।

तुलनात्मक लाभ से अभिप्राय उस लाभ से है जो एक देश अन्य देश की तुलना में एक वस्तु के उत्पादन में प्राप्त करता है जबकि अन्य वस्तुओं के रूप में उस वस्तु का उत्पादन अन्य देश की तुलना में कम लागत पर किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए दिल्ली में एक सबसे उत्तम वकील है जो एक बहुत अच्छा टाइपिस्ट भी है। उसका एक मुन्शी टाइप जानता है, परन्तु उसे वकालत का ज्ञान बहुत कम है। बेशक वकील दोनों कार्यों में योग्य है, परन्तु टाइप की तुलना में वकालत में अधिक समय लगाने से उसे तुलनात्मक लाभ अधिक होगा। मुन्शी दोनों कार्यों में ही अयोग्य है, परन्तु टाइप करने में उसकी तुलनात्मक हानि कम है। वकील को स्वयं वकालत करने तथा मुन्शी से टाइप कराने में अपेक्षाकृत लाभ अधिक होगा।

संक्षेप में, किसी देश को ए और बी दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लागत का लाभ हो सकता है, फिर भी यह बी के बजाय ए में विशिष्टता का विकल्प चुन सकता है, क्योंकि ए, बी की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक लागत लाभ प्रदान करता है।

इसे निम्नलिखित तालिका 1 द्वारा स्पष्ट किया गया है–

देश	गेहूँ	कपड़े
भारत	0.60 मी. कपड़ा	1.67 कि.ग्रा. गेहूँ
नेपाल	2.00 मी. कपड़ा	0.50 कि.ग्रा. गेहूँ

हम मानते हैं कि 1 किलोग्राम गेहूँ के उत्पादन का अवसर लागत भारत में 0.60 मीटर कपड़ा है, जबकि नेपाल में यह 2 मीटर कपड़ा है। इस तालिका का दूसरा स्तंभ फिर से वही जानकारी देता है, लेकिन 1 मीटर कपड़ा लागत के अवसर के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसका भारत में गेहूँ उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है और नेपाल कपड़े में है।

इसको चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है–

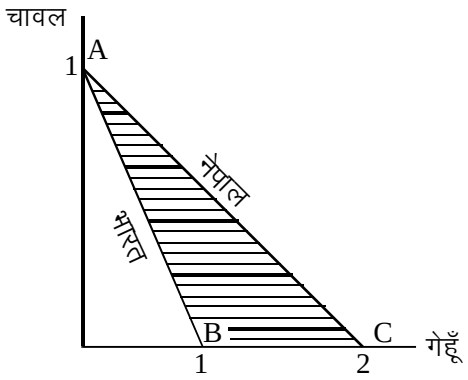

चित्र 10.2

AB भारत की उत्पादन संभावना रेखा तथा AC नेपाल की उत्पादन संभावना रेखा है। इसका अर्थ है कि भारत को 1 इकाई चावल प्राप्त करने के लिए एक इकाई गेहूँ का त्याग करना पड़ता है। नेपाल 1 इकाई चावल का त्याग करके 2 इकाइयाँ गेहूँ प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट है कि भारत को चावल के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ अधिक है तथा नेपाल को गेहूँ के उत्पादन में तुलनात्मक हानि कम है।

भारत नेपाल को चावल की 1 इकाई देकर गेहूँ की 1 इकाई से अधिक इकाई प्राप्त कर सकता है तथा नेपाल भारत को गेहूँ की 2 से कुछ कम इकाई देकर चावल की 1 इकाई प्राप्त कर सकता है। दोनों देशों को होने वाले लाभ छायादार भाग ABC द्वारा दिखाया गया है। इस लाभ का वितरण दोनों देशों के बीच विद्यमान व्यापार की शर्तों के आधार पर होगा। व्यापार की शर्तों का निर्धारण प्रत्येक देश की वस्तु की अनुवर्ती माँग के आधार पर होगा।

10.8 सिद्धान्त की आलोचनाएँ (CRITICISM OF THEORY)

रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। सैम्युअलसन के अनुसार, ''तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त में सच्चाई की एक महत्त्वपूर्ण झलक दिखाई देती है। इस सिद्धान्त के तर्कपूर्ण दृष्टि से युक्तिसंगत होने पर भी इसके कई दोष हैं।

1. **केवल आदर्शात्मक सिद्धान्त**– रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त केवल एक आदर्शात्मक सिद्धान्त है। इससे यह ज्ञात होता है कि देश के साधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे किया जा सकता है परन्तु यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की रचना अथवा निर्यातों एवं

आयातों की व्याख्या करने में असमर्थ है तथा इनकी समस्याएँ कौन-सी हैं, इसको बतलाने में भी असमर्थ है। यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की एक वास्तविक विवेचना नहीं है।

2. **श्रम के मूल्य सिद्धान्त पर आधारित**– तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त श्रम के लागत सिद्धान्त पर आधारित है। इस सिद्धान्त के अनुसार किसी वस्तु की लागत इसके निर्माण के लिए आवश्यक श्रम की मात्रा पर निर्भर करती है। परन्तु वास्तव में किसी वस्तु की लागत पर, श्रम के अतिरिक्त, अन्य साधनों जैसे भूमि, पूँजी आदि की कीमत का भी प्रभाव पड़ता है। अतएव इस सिद्धान्त के आलोचक श्रम लागत के स्थान पर मुद्रा लागत के रूप में इसकी विवेचना करना पसंद करते हैं।

3. **परिवहन लागतों की अवहेलना**– तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में एक प्रमुख दोष यह है कि इसमें परिवहन लागतों पर विचार नहीं किया गया है। कुछ वस्तुओं की परिवहन लागतें उत्पादन लागतों से भी अधिक होती हैं। इसलिए वस्तुओं का आयात अथवा निर्यात करते समय उत्पादन लागत तथा यातायात लागत दोनों को मिलाकर कुल लागतों का विचार किया जाना चाहिए। यातायात लागतें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को काफी प्रभावित करती है, इसलिए इन लागतों की अवहेलना नहीं की जा सकती।

4. **स्थिर लागतों के नियम पर आधारित**– इस सिद्धान्त की यह मान्यता, कि उत्पादन में कमी या वृद्धि करने पर प्रति इकाई उत्पादन लागत समान रहती है, अवास्तविक ही नहीं बल्कि अवैज्ञानिक भी है। सामान्यतया यह देखा गया है कि उत्पादन पर बढ़ती लागत का नियम या घटती लागत का नियम लागू होता है। स्थिर लागत के नियम के लागू होने की संभावना कभी-कभी और वह भी थोड़े समय के लिए होती है।

5. **पूर्ण विशिष्टीकरण की असंभावना**– अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले देशों का कुछ वस्तुओं में पूर्ण रूप से विशिष्टीकरण प्राप्त करना संभव नहीं है। मान लीजिए भारत और नेपाल व्यापार करते हैं। भारत सूती कपड़े के उत्पादन में तथा नेपाल ऊनी कपड़े से विशिष्टता प्राप्त करता है। नेपाल एक बहुत छोटा-सा देश होने के कारण भारत के ऊनी कपड़ों की माँग को पूरा नहीं कर सकता और न ही नेपाल में भारत से निर्यात हो सकने वाले कुल सूती कपड़े की माँग हो सकती है। इसलिए भारत को सूती कपड़ा तथा ऊनी कपड़ा दोनों ही बनाने पड़ेंगे। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तभी संभव है यदि दो समान मूल्य वाली वस्तुओं का दो समान आकार वाले देशों में व्यापार हो।

6. **स्वतन्त्र व्यापार पर आधारित**– परम्परावादी अर्थशास्त्री यह मान कर चलते थे कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सब प्रकार के प्रतिबन्धों से स्वतन्त्र है, परन्तु आधुनिक युग में स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है। आज के युग में कोई भी देश दूसरे देश पर निर्भर रहना नहीं चाहता और अनिश्चिताओं से बचना चाहता है। इसके अतिरिक्त बहुत-सी अन्य

परिस्थितियों जैसे अपूर्ण प्रतियोगिता, व्यापार प्रतिबन्ध, राज्य व्यापार, आयत-निर्यात तथा आर्थिक नियोजन के कारण स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की संभावना कम है।

7. **स्थिर दशाएँ**- इस सिद्धान्त में यह मान्यता भी निहित है कि दो देशों में लोगों की रुचियों तथा उत्पादन क्रियाओं में परिवर्तन नहीं आता। इसके अतिरिक्त भूमि, पूँजी तथा श्रम की पूर्ति स्थिर है। परन्तु वास्तव में संसार में इस प्रकार के परिवर्तन समय-समय पर होते रहते हैं इसलिए यह मान्यता निराधार है।

8. **एक पक्षीय**- रिकार्डो का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त एक पक्षीय है। यह सिद्धान्त व्यापार की पूर्ति पक्ष को तो ध्यान में रखता है परन्तु माँग पक्ष की अवहेलना करता है। इस सिद्धान्त से यह तो ज्ञात होता है कि एक देश कौन-सी वस्तुओं का आयात तथा निर्यात करता है परन्तु यह ज्ञात नहीं होता कि व्यापार की शर्तें तथा विनिमय की दर कैसे निर्धारित होती है।

10.9 सारांश (SUMMARY)

इस अध्याय के अर्न्तगत यह स्पष्ट किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वर्त्तमान युग का आधार है क्योंकि वर्त्तमान में प्रायः सभी अर्थव्यवस्थाएँ खुली अर्थव्यवस्थाएँ हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण पर निर्भर करता है। लागतों में तुलनात्मक अंतर तथा सापेक्षिक अंतर होने की स्थिति में देश को व्यापार से लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यदि लागतों में समान अंतर पाया जाता है तो उस स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्र.1 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत तथा तुलनात्मक लागत सिद्धांत की अलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

प्र.2 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार या विशेषज्ञता से आप क्या समझते हैं? यह किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्धारित करती है।

प्र.3 व्यापार का मूल क्या है? राष्ट्र व्यापार क्यों करते हैं?

प्र.4 अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच मुख्य अंतर क्या है?

प्र.5 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभों की विवेचना कीजिए?

अध्याय 11

व्यापार की शर्तें, स्वतन्त्र व्यापार तथा संरक्षण

11.1 व्यापार की शर्तें (TERMS OF TRADE)

व्यापार की शर्तों से अभिप्राय उस दर से है जिस पर एक देश की वस्तुओं का दूसरे देश की वस्तुओं के साथ विनिमय किया जाता है। यह एक देश के निर्यातों की आयातों के रूप में क्रय शक्ति का माप है तथा इसे वस्तुओं की निर्यात कीमतों तथा आयात कीमतों के संबंध के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब एक देश के निर्यातों की कीमतें आयातों की कीमतों तुलना में बढ़ती है तब यह कहा जाएगा कि उसकी व्यापार की शर्तों में सुधार हुआ है। इसके विपरीत, जब देश के आयातों की कीमतें निर्यातों की कीमतों की तुलना में बढ़ जाती है तब उसकी व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाती हैं। एक देश की व्यापार की शर्तें जब प्रतिकूल हो जाती हैं तब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाला लाभ घट जाता है, क्योंकि अब उसे निर्यातों की एक निश्चित मात्रा के बदले में आयातों की पहले से कम मात्रा प्राप्त होती है।

व्यापार की शर्तों से अभिप्राय वह भौतिक विनिमय अनुपात है जिस पर वस्तुओं का एक देश तथा दूसरे देश के बीच विनिमय होता है। जब दो खुली अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार होता है तब दोनों देशों द्वारा कुछ वस्तुएँ बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। क्योंकि एक ही समय कई वस्तुओं का दोनों ओर से निर्यात तथा आयात होता है, इस कारण हम भौतिक मात्रा जैसे किलोग्राम गेहूँ, मीटर कपड़ा का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके स्थान पर, व्यापार की शर्तों को निर्धारित करने हेतु हम निर्यात कीमतों का सूचकांक तथा आयात कीमतों का सूचकांक प्राप्त करते हैं तथा निम्नलिखित समीकरण का प्रयोग करते हुए व्यापार की शर्तों का अनुमान लगाते हैं।

$$\text{व्यापार की शर्तें} = \frac{\text{निर्यात कीमतों का सूचकांक}}{\text{आयात कीमतों का सूचकांक}} \times 100$$

इसे व्यापार की शर्तों का सूचकांक भी कहा जाता है, सूचकांक के बढ़ने का अर्थ व्यापार की शर्तों का अनुकूल होना है। मान लीजिए कि निर्यात कीमतों में 15% की वृद्धि होती है (अर्थात् निर्यातों का कीमत सूचकांक 100 से 115 हो जाता है) तथा आयात कीमतों में 5% की वृद्धि होती है (अर्थात् आयातों की कीमत सूचकांक 100 से बढ़कर 105 हो जाती है) तो व्यापार की शर्तों का सूचकांक 100 से बढ़कर 109 $\left(\frac{115}{105} \times 100 = 109\right)$ हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि नई व्यापार की शर्तों के अनुसार निर्यातों की एक इकाई पुरानी शर्तों की तुलना में 9% अधिक आयात प्राप्त करेगी।

इसी प्रकार, व्यापार की शर्तें प्रतिकूल तब होती हैं जब निर्यात कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन आयात कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है। इस स्थिति में व्यापार की शर्तों का सूचकांक

100 से कम होता है। मान लो निर्यात कीमत सूचकांक 5% बढ़ता है। तथा आयात कीमत सूचकांक 10% बढ़ जाता है। अतएव व्यापार की शर्तों का सूचकांक इस प्रकार होगा–

व्यापार की शर्तें = $\frac{105}{110} \times 100 = 95$

इस दशा में, निर्यात की एक इकाई पुरानी शर्तों की तुलना में लगभग 5% कम आयात प्राप्त कर सकेंगी।

व्यापार की शर्तों का प्रतियोगिता के साथ घनिष्ठ संबंध है। यदि निर्यात कीमतों में सारभूत वृद्धि होती है तो इसका निहितार्थ व्यापार की शर्तों के सूचकांक में महत्त्वपूर्ण वृद्धि का होना है। वास्तव में यह स्थिति प्रतियोगिता में हानि की है।

11.2 व्यापारिक नीति का सिद्धान्त (THEORY OF TRADE POLICY)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सरकारी नीति को व्यापारिक नीति कहते हैं। एक देश या तो स्वतन्त्र व्यापार नीति या संरक्षण नीति को अपनाता है। स्वतन्त्र व्यापार नीति से अभिप्राय उस नीति से है जिसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। निर्यातकों तथा आयातकों को अनुमति होती है कि वे बिना किसी प्रकार के निर्यात या आयात शुल्क के व्यापार करने में स्वतन्त्र होते हैं।

इसके विपरीत संरक्षणवाद या संरक्षणवादी नीति से अभिप्राय स्थानीय उत्पादकों को (विदेशी प्रतियोगिता से) संरक्षण देने की नीति है। यह संरक्षण शुल्क लगाकर या गैर-कर रोके लगाकर प्रदान किया जाता है। गैर-कर रोको में कोटा निर्धारित करना या सीमा शुल्क कार्य प्रणाली को जान-बूझकर जटिल बनाना जिससे आयातों को निरुत्साहित किया जा सके।

11.3 स्वतन्त्र व्यापार की अवधारणा (CONCEPT OF FREE TRADE)

ऐसी व्यापार नीति, जिसके अन्तर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं की दो देशों के बीच अदला-बदली पर कोई रोक नहीं लगायी जाती, स्वतन्त्र व्यापार नीति कहलाती है। स्वतन्त्र व्यापार सभी देशों को ऐसे उत्पाद बनाने में विशिष्टता देता है जिसमें उन्हें तुलनात्मक लाभ हो। एडम स्मिथ के अनुसार, ''स्वतन्त्र व्यापार की अवधारणा से अभिप्राय व्यापारिक नीति की वह प्रणाली है जिसमें घरेलू तथा विदेशी वस्तुओं में कोई भेद नहीं किया जाता और इसलिए न तो विदेशी वस्तुओं पर कोई अतिरिक्त भार डाला जाता है और न ही घरेलू वस्तुओं को कोई विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं। अतः स्वतन्त्र व्यापार नीति के अनुसार वस्तुओं तथा सेवाओं के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह को किसी प्रकार की कृत्रिम रुकावटों से मुक्त रखा जाता है। इसलिए स्वतन्त्र व्यापार का संसार एक ऐसा संसार होता है जहाँ वस्तुओं के आयात तथा निर्यात पर कोई सीमा शुल्क या प्रतिबन्ध नहीं होते। ऐसे संसार में, एक देश उन वस्तुओं का आयात करता है जिन्हें वह विदेश से उस सुपुर्दगी पर खरीदता है, जो उन्हें स्वदेश में उत्पादन करने की लागत से कम होती है।

स्वतन्त्र व्यापार के लाभ

1. **उत्पादन का अधिकतमीकरण**–तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशेषता प्राप्त करेगा। जिसके लिए वह अधिक उपर्युक्त है या जिसके उत्पादन में उसे तुलनात्मक अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके फलस्वरूप संसार में विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन अधिकतम होगा।
2. **संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग**–क्योंकि उत्पादन तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धान्त के अनुसार किया जाता है, इसलिए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। प्रत्येक देश आगतों के न्यूनतम लागत संयोग द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करता है।

स्वतन्त्र व्यापार के नुकसान

1. स्वतन्त्र व्यापार के लिए अहस्तक्षेप की नीति तथा पूर्ण प्रतियोगी कीमत संयंत्र की प्रक्रिया का क्रियाशील होना आवश्यक है। किन्तु ये शर्तें वर्तमान समय के संसार में नहीं पायी जाती हैं। एकाधिकार क्रेताधिकार, कार्टेल, अपूर्ण श्रम बाज़ार तथा सीमा शुल्कों के प्रचलन में होने के कारण स्वतन्त्र व्यापार को त्यागना पड़ा था।
2. स्वतन्त्र व्यापार की नीति के अन्तर्गत कुछ उद्योगों को तुलनात्मक लाभ प्राप्त होते हैं तथा अन्य उद्योग विकसित नहीं होते। अतः इस कारण अर्थव्यवस्था का एक-पक्षीय विकास ही हो पाता है।
3. क्योंकि स्वतन्त्र व्यापार की व्यवस्था में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया जाता था तथा राज्य द्वारा राष्ट्रों के बीच वस्तुओं के आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाए जाते थे, इस कारण अनेक देशों के अनैतिक व्यापारियों ने हानिकारक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात आरम्भ कर दिया। इनका देश के स्वास्थ्य तथा कल्याण पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ा। ऐसी वस्तुओं के आयात पर व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाना अनिवार्य बन गया। स्वतन्त्र व्यापार की नीति को त्यागने का यह भी एक कारण था।
4. स्वतन्त्र व्यापार के कारण अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारों तथा स्थानीय एकाधिकारों को बढ़ावा मिला। हैबरलर के अनुसार, स्वतन्त्र व्यापार स्वतन्त्र देशों तथा स्वदेशी हितों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। इस कारण भी संरक्षण की नीति को अपनाना पड़ा।
5. हैबरलर के इस विचार को स्वीकारा नहीं जा सकता, कि स्वतन्त्र व्यापार की नीति पिछड़े देशों के तीव्र आर्थिक विकास में सहायक होगी। अब यह सर्वमान्य है कि अल्पविकसित देशों का बेहतर विकास स्वतन्त्र व्यापार की नीति की अपेक्षा संरक्षण की नीति द्वारा ही हो सकता है।

11.4 संरक्षण की स्थिति (SITUATION OF PROTECTION)

संरक्षण शब्द से अभिप्राय ऐसी नीति से है जिसके द्वारा स्वदेशी उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से सुरक्षित रखा जाता है। इसका लक्ष्य निम्न-कीमतों वाली वस्तुओं के आयातों पर प्रतिबन्ध लगाना है जिससे ऊँची-कीमतों वाली वस्तुओं को उत्पादित करने वाले स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सके। स्वदेशी उद्योगों को सुरक्षित करने के लिए विदेशी वस्तुओं पर इस दर से आयात कर लगाए जाते हैं उनकी कीमतें स्वदेशी वस्तुओं की कीमतों से अधिक हो जाए, या इन्हें कोटा प्रणाली द्वारा सुरक्षित किया जाता है; या अन्य गैर-प्रशुल्क प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं जिनके कारण सस्ती विदेशी वस्तुओं का आयात कठिन या असंभव हो जाता है, या स्वदेशी उद्योगों के वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे वो सस्ती विदेशी वस्तुओं से प्रतियोगिता कर सके। संरक्षण के पक्ष में दिये गए तर्कों को दो समूहों में बाँटा है- (1) आर्थिक तर्क तथा (2) गैर-आर्थिक तर्क।

(1) आर्थिक तर्क

आर्थिक तर्क आमतौर पर संरक्षण के पक्ष में पेश किए गए हैं। राष्ट्रीय आय को यथासंभव अधिक करने के उद्देश्य से प्रशुल्क के उपयोग का महत्त्वपूर्ण तर्क है।

1. **शिशु उद्योगों की रक्षा**—शिशु उद्योगों की रक्षा पहले अलेक्जेंडर हैमिल्टन द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन एफ.लिस्ट द्वारा लोकप्रिय किया गया था। संरक्षण का उद्देश्य देश में जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। यह स्थिर और गतिशील रूप में आता है। स्थिर रूप मानता है कि विश्व तकनीक स्थिर और दी गई है (technology is constant and given) । यदि किसी उद्योग की बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं तो उद्योग के छोटे होने पर बड़े पैमाने पर लागतें अधिक होंगी, लेकिन उद्योग बढ़ने के साथ-साथ गिरावट भी आएगी। तर्क के अनुसार यदि उद्योगों को उनके शैशव काल में सुव्यवस्थित विदेशी उत्पादकों से सुरक्षित नहीं किया गया तो वह न तो विकसित हो पाएँगे और न ही कोई तुलनात्मक लागत लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अत: इन उद्योगों को हर प्रकार की सुविधा देकर सुरक्षित किया जाता है, जैसे विदेशी वस्तुओं पर भारी आयात प्रशुल्क लगाकर। फलस्वरूप ऐसे उद्योगों का विस्तार होगा तथा उन्हें पैमाने की आन्तरिक बचतें प्राप्त होंगी।

एक नए विकासशील देश को लग सकता है कि विकास के शुरुआती चरणों में उसके उद्योग स्थापित विदेशी प्रतिद्वंद्वियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। एक व्यापार प्रतिबंध इन उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचा सकता है जब ये उद्योग बढ़ते हैं। यदि ये उद्योग विकसित स्थिति में होंगे तो वे सस्ते में विदेशी प्रतिद्वंद्वियों के रूप में उत्पादन करने में सक्षम होंगे और इसलिए बिना संरक्षण के प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे।

तर्क का गतिशील रूप इस बात पर जोर देता है कि प्रोद्यौगिकी लगातार अंतर्जात रूप से बढ़ रही है। जो उद्योग विकास के प्रारंभिक चरण में स्थिर थे, वे तकनीकी अनुभव और उन्नति प्राप्त

करेंगे। एक देश को विकास के शुरुआती चरण के दौरान अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करने की आवश्यकता होती है, जब उद्योग प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे होते हैं। इसका उद्देश्य किसी दिए गए गिरते हुए लंबे समय तक चलने वाले वक्र पर चलना नहीं है, बल्कि ऐसे उद्योगों को विकसित करना है जिनमें लागत समय के साथ घटती है क्योंकि उन्नत देशों में आविष्कार और नवाचार के कारण समान लागत घट रही है। नए उद्योगों को संरक्षण के तहत स्थिर होने से रोकने के लिए, जो उन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाते हैं, एक निश्चित अवधि के भीतर विदेशी बाज़ारों में सफलता प्राप्त करने पर संरक्षण लगातार होना चाहिए। एक बार जब वे नई तकनीकों से जुड़ी गहन अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना कौशल रखने के लिए आवश्यक कौशल विकसित कर लेते हैं तो संरक्षण को हटाया जा सकता है। प्रारंभिक संरक्षण के लिए अधिवक्ता बताते हैं कि सभी आर्थिक रूप से उन्नत देशों ने अपने प्रारंभिक उद्योगों को प्रशुल्क संरक्षण के तहत विकसित किया है।

2. **करके सीखने को प्रोत्साहित करना**—शिशु उद्योग तर्क के गतिशील संस्करण करके सीखने तर्क पर आधारित है करके सीखने से तुलनात्मक लाभ के पैटर्न को बदला जा सकता है। यदि कोई देश उत्पादक उत्पाद के माध्यम से पर्याप्त रूप से सीखता है जिसमें वह वर्तमान में तुलनात्मक नुकसान पर है तो यह उन उत्पादों में विशेषज्ञता द्वारा लंबे समय में प्राप्त कर सकता है और एक तुलनात्मक लाभ विकसित कर सकता है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया उनकी लागत को कम करती है।

विदेशी प्रतिस्पर्धा से एक घरेलू उद्योग की रक्षा करने के लिए अपने प्रबंधन को कुशल होने के लिए सीखने का समय देता है और आवश्यक कौशल हासिल करने के लिए श्रमबल को समय देता है।

कुछ देशों ने लक्षित उद्योगों में मजबूत तुलनात्मक लाभ विकसित करने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन अन्य विफल हो सकते हैं। पहला कारण की कई बार ऐसी नीतियाँ विफल हो जाती हैं कि उद्योग जटिल है दूसरा कारण उन उद्योगों की पहचान में अंतर है जो लंबे समय में सफल हो पाएँगे।

3. **एक रणनीतिक व्यापार लाभ बनाने या शोषण करना**—प्रशुल्क या अन्य व्यापार प्रतिबंध के लिए एक महत्त्वपूर्ण तर्क उत्पादन या विपणन में एक रणनीतिक लाभ बनाने की आवश्यकता है। नए उत्पाद से सामान्य लाभ बढ़ने की उम्मीद की जाएगी। कुछ वस्तुओं का उत्पादन उद्योगों में किया जाता है जिसमें प्रवेश में बाधा होती है। उन उद्योगों में फर्म लंबे समय तक अतिरिक्त उच्च लाभ कमा सकते हैं। जहाँ इस तरह के उद्योग पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित है, तो इस बात की संभावना कम है कि एक नई फर्म मौजूदा अनुदानों में से एक ही जगह लेगी।

किसी नए उत्पाद को सफलतापूर्वक विकसित करके और उसकी विपणन (Marketing) करने वाली पहली कंपनी अपने सभी अवसर लागतों पर पर्याप्त शुद्ध मुनाफा कमा सकती है और उद्योग में

कुछ स्थापित कंपनियों में से एक बन सकती है। यदि घरेलू बाज़ार की सुरक्षा इस संभावना को बढ़ा सकती है कि संरक्षित घरेलू कंपनियों में से एक अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में स्थापित कंपनियों में से एक बन जाएगी, तो सुरक्षा भुगतान कर सकती है।

बहुत सारे उच्च तकनीकी उद्योग हैं जो उत्पाद विकास की अपनी बड़ी निश्चित लागत के कारण औसत कुल लागत में गिरावट का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए नागरिक विमान और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक नई पीढ़ी। वे बाज़ार में प्रवेश करने की निश्चित लागत है। उत्पादन की एक इकाई को ऐसे उद्योगों में बेचे जाने से पहले उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसे बाज़ार में कुछ कंपनियों को जगह मिल सकती है।

केवल वर्णित विशेषताओं का उपयोग कभी-कभी ऐसे उद्योगों के विकास को सब्सिडी देने या अपने घर के बाज़ार की रक्षा प्रशुल्क के द्वारा करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यात्री जेट के अगले दौर के केवल तीन प्रमुख उत्पादकों के लिए विमान उद्योग में एक जगह है। यदि कोई सरकार किसी घरेलू कंपनी की सहायता करती है, तो यह कंपनी सफल होने वाले तीन में से एक बन सकती है और बाद में सब्सिडी पर लागत चुकाने की तुलना में कई गुना अधिक मुनाफा कमाया जाता है।

उपर्युक्त चर्चा का एक आधार यह है कि अर्थशास्त्री सलाह देते हैं कि उनकी सरकार को पहले की तुलना में अधिक व्यापक रूप से रणनीतिक व्यापार नीतियों को अपनाना चाहिए। इसका अर्थ है उच्च तकनीकी उद्योगों, घरेलू बाज़ार की सरकारी सुरक्षा और उत्पाद विकास चरण की सरकारी सब्सिडी।

आलोचना- आलोचकों का तर्क है कि सभी देश रणनीतिक होने की कोशिश करते हैं। वे सभी उद्योगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। रणनीतिक व्यापार नीति का समर्थन करने वाले अधिवक्ताओं के अनुसार प्रमुख उद्योग वो हैं जो प्रमुख अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। यदि कोई देश अपने जीवन स्तर को उच्च स्तर पर रखना चाहता है, तो उसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, यदि कोई देश अपने सभी प्रमुख उद्योगों को अन्य देशों में स्थानांतरित करता है, तो कई अन्य उसका अनुसरण करेंगे।

विरोधियों का तर्क है कि रणनीतिक व्यापार नीति आधुनिकीकरण का सिर्फ आधुनिक संस्करण है, व्यापार से पारस्परिक रूप से लाभकारी लाभ प्राप्त करने के बजाय पड़ोसी देशों की कीमत पर खुद को समृद्ध करने की कोशिश करने की नीति है।

विदेशी कंपनियों और सरकारों द्वारा अनुचित कार्यों से रक्षा करना

विदेशी उद्योगों को घरेलू उद्योगों पर लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए प्रशुल्क का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुँचाएगा और इसलिए राष्ट्रीय आय को कम

करेगा। विदेशी कंपनियों और सरकार द्वारा अनुचित कार्यों से बचाने के लिए सब्सिडी और राशिपातन (Dumping) का उपयोग किया जाता है।

व्यापार की शर्तों को बदलने के लिए

व्यापार प्रतिबंधों का उपयोग उन देशों के पक्ष में व्यापार की शर्तों को चालू करने के लिए किया जा सकता है जो कुछ उत्पाद की दुनिया की आपूर्ति का एक बड़ा उत्पादन और निर्यात करते हैं। उनका उपयोग उन देशों के पक्ष में व्यापार की शर्तों को मोड़ने के लिए भी किया जा सकता है, जो दुनिया के बड़े हिस्से के लिए कुछ उत्पाद की माँग का आयात करते हैं।

मान लीजिए कि कुछ उत्पाद के लिए कुल माँग का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है जो इसे आयात करता है। लेकिन प्रशुल्क के माध्यम से वस्तुओं की माँग पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, यह उस उत्पादन की कीमत को बाध्य कर सकता है। यह व्यापार के शब्द को अपने पक्ष में बदल देता है क्योंकि अब इसे प्रति यूनिट निर्यात के आयात की अधिक इकाइयाँ मिल सकती हैं।

(2) गैर-आर्थिक तर्क

संरक्षण के पक्ष के कुछ महत्त्वपूर्ण गैर-आर्थिक तर्क है। ये कारक राष्ट्रीय आय को अधिकतम नहीं करते हैं।

1. **सुरक्षा तर्क**-सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उद्योगों के संरक्षणता प्रदान करने की नीति अपनानी चाहिए। यदि एक देश अपनी औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के लिए अन्य देशों पर आश्रित रहेगा तो युद्ध के समय ऐसी निर्भरता राष्ट्रीय हित के लिए बहुत अधिक हानिकारक सिद्ध होगी।
2. **विविधीकरण के गैर आर्थिक लाभ**-तुलनात्मक लाभ यह तय करती है कि एक देश को उत्पादों की एक संकीर्ण श्रेणी के उत्पादन में विशिष्टता होनी चाहिए। सरकार यह तय कर सकती है कि अधिक विविध अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने में अलग-अलग सामाजिक लाभ है। नागरिकों को व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला दी जानी चाहिए। विविधीकरण के सामाजिक तथा शारीरिक लाभ जीवन स्तर में कमी के लिए क्षतिपूर्ति से अधिक होगा।
3. **विशेषज्ञता का जोखिम**-केवल कुछ उत्पादों के उत्पादन में विशेषज्ञता में कई जोखिम शामिल है जो देश लेना नहीं चाहता है। ऐसा एक जोखिम यह है कि तकनीकी विकास इसके प्रमुख उत्पाद को अप्रचलित कर सकता है। प्रशुल्क समर्थक तर्क यह है कि सरकार उद्योगों की रक्षा करके अधिक विविध अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकती है जो अन्यथा प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती।

4. **विशिष्ट समूहों का संरक्षण**–हालांकि मुक्त व्यापार पूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रति व्यक्ति GDP (सकल घरेलू उत्पाद) को अधिकतम करेगा, विशिष्ट समूह के पास मुक्त व्यापार की तुलना में सुरक्षा के तहत उच्च आय हो सकती है। यदि एक कंपनी या उद्योग एकाधिकार स्थिति में है तो विदेशी प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने के लिए प्रशुल्क का उपयोग किया जाता है। प्रशुल्क उन लोगों के समूह की सापेक्ष आय को बढ़ाते हैं जो घरेलू रूप से कम आपूर्ति में है, और ऐसे लोगों के समूह की सापेक्ष आय कम करने के लिए जो बहुतायत में है। मुक्त व्यापार इसके विपरीत नहीं है।

11.5 संरक्षण की विधियाँ (METHOD OF PROTECTION)

हमने अब कुछ ऐसे कई कारणों का अध्ययन किया है जिनके कारण सरकार अपने कुछ घरेलू उद्योगों के लिए कुछ सुरक्षा प्रदान करना चाह सकती है। संरक्षण के नीतिगत उपकरणों को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है–1. प्रशुल्क रोके, 2. गैर-प्रशुल्क रोके

1. **प्रशुल्क रोके**– अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए विश्व के सभी देश प्रशुल्क का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यापार-वस्तु राष्ट्रीय सीमा को पार करती है तब उस पर लगाए जाने वाले कर को **प्रशुल्क** कहते हैं। **आयात प्रशुल्क** आयातित वस्तु पर लगाए जाने वाला कर है जबकि **निर्यात प्रशुल्क** निर्यातित वस्तु पर लगाए जाने वाला कर है। संरक्षण की नीति के संदर्भ में आयात प्रशुल्क निर्यात प्रशुल्क से अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं। वास्तव में, प्रशुल्क रोको का सम्बन्ध आयात प्रशुल्कों से है। मुख्य रूप से दो प्रकार की संरक्षण नीति है, पहली नीतियाँ जो सीधे कीमतें बढ़ाती हैं और दूसरी नीतियाँ जो सीधे कम मात्रा में होती हैं।

पहले प्रकार की संरक्षणवादी नीति सीधे तौर पर थोपी गई कमियों पर कीमत बढ़ाती है जिससे घरेलू उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा मिलती है। एक प्रशुल्क जिसे अक्सर आयात शुल्क कहा जाता है, इस प्रकार की सबसे आम नीति है।

प्रतिबंधित व्यापार

इस स्थिति में सरकार प्रशुल्क लगाकर आयात को हतोत्साहित करती है जिसके कारण घरेलू उपभोक्ता तथा विदेशी उत्पादक को हानि वहन करनी पड़ती है।

इस प्रकार प्रशुल्क रोको से घरेलू कीमत में प्रशुल्क राशि के बराबर वृद्धि होती है, जिस कारण घरेलू उपभोक्ताओं तथा विदेशी उत्पादकों को हानि होती है तथा घरेलू उत्पादकों को लाभ होता है। निस्सन्देह, सरकार को कर आय के रूप में लाभ प्राप्त होता है।

(2) **गैर प्रशुल्क रोकें** – दूसरे प्रकार की संरक्षणवादी नीति सीधे किसी आयातित उत्पाद की मात्रा को सीमित करती है। वे रोके जिनसे आयातित वस्तु की कीमत में सीधे वृद्धि नहीं होती,

गैर-प्रशुल्क रोके कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में, कोई भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यापार प्रतिबन्ध जिसमें प्रशुल्क सम्मिलित नहीं होता, गैर-प्रशुल्क रोक कहलाता है। **आयात कोटा** एक महत्त्वपूर्ण गैर-प्रशुल्क रोक है। आयात कोटा के अन्तर्गत आयात करने वाला देश किसी वस्तु के आयात की एक विशेष सीमा निश्चित कर देती है, इस सीमा से अधिक, निर्धारित समय अवधि में, आयात की अनुमति नहीं दी जाती।

आयात कोटा के अतिरिक्त, कई वर्षों से **स्वैच्छिक निर्यात** प्रतिबन्ध भी प्रचलन में है। इसके अन्तर्गत व्यापार करने वाले देशों में एक समझौता हो जाता है, इस समझौते में निर्यात करने वाला देश इस बात के लिए राजी हो जाता है कि वह आयात करने वाले देश को एक निश्चित मात्रा में ही वस्तु को बेचेगा।

11.6 भ्रामक व्यापार नीति तर्क (ARGUMENTS FOR FALLACIOUS TRADE POLICY)

स्वतन्त्र व्यापार तथा संरक्षणवाद के बारे में कई भ्रम पाए जाते हैं। दोनों पक्षों में भ्रामक विकल्प सुने जाते हैं और वे लोकप्रिय चर्चा का विषय बनते हैं। ऐसे तर्क युगों से चले आ रहे हैं। इन तर्कों का अभी तक जीवित रहना जरूरी नहीं बल्कि उनमें व्याप्त सच्चाई को उजागर करने की आवयकता है। इसकी जाँच निम्न प्रकार से की जा सकती है–

(अ) स्वतन्त्र व्यापार तर्क सम्बन्धी भ्रम

(*i*) स्वतन्त्र व्यापार का सभी देशों को लाभ प्राप्त होता है– यह सर्वविदित है कि अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाएँ स्वतन्त्र व्यापार में विश्वास नहीं रखती। वास्तव में, विकसित देशों का एक छोटा-सा ग्रुप गठ-बंधन द्वारा प्रतिबन्धक व्यापार नीतियों पर चलते हुए व्यापार की शर्तों को अपने पक्ष में कर लेता हैं। यदि वे स्वतन्त्र व्यापार को एकतरफा अपना ले तो उसे वे सभी लाभ खो देने पड़ेंगे जो उसने संरक्षण-प्रशुल्क व्यवस्था में प्राप्त किए थे। अतएव स्वतन्त्र व्यापार द्वारा जरूरी नहीं कि आय अधिकतम हो या प्रत्येक व्यावसायिक साझेदार को इसका लाभ प्राप्त हो।

(*ii*) संरक्षण प्रशुल्क का शिशु उद्योगों की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव– इस तर्क के अनुसार, शिशु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना एक भ्रम है ऐसा करने से ये उद्योग कार्यकुशल बनने का कभी प्रयत्न नहीं करेंगे। ऐसा माना जाता है कि संरक्षण, शिशु उद्योगों के कुशल परिचालन के उच्च स्तर पर पहुँचने से रोकता है और ये उद्योग सदैव शिशु बने रहते हैं। फिर भी, अनेक राष्ट्रों के शिशु उद्योगों ने आश्चर्यजनक विकास का प्रदर्शन किया है तथा निम्न वास्तविक उत्पादन लागत के साथ-साथ बड़े पैमाने की प्रत्याशित बचतें भी प्राप्त की है।

(iii) **स्वतन्त्र व्यापार वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में विश्व आय को अधिकतम करता है–** स्वतन्त्र व्यापार के द्वारा ही प्रौद्योगिकी और तुलनात्मक लागत दिए जाने पर दुनिया की आय को अधिकतम किया जाता है।

(ब) संरक्षणवाद के पक्ष में तर्क सम्बन्धी भ्रम

(i) **शोषण पर रोक–** इस तर्क के अनुसार, स्वतन्त्र व्यापार की नीतियों से यदि एक देश को लाभ होता है तो दूसरे देश को हानि। अन्य शब्दों में, स्वतन्त्र व्यापार कभी भी पारस्परिक लाभदायक सिद्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में, दुर्लभ राष्ट्रों के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपने आप को विभिन्न संरक्षणात्मक नीतियों द्वारा सुरक्षित करे, जैसे प्रशुल्क, आयात कोटा इत्यादि। किन्तु तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त इस तर्क को यह कहकर अस्वीकार करता है कि दोनों व्यापार करने वाले देशों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ प्राप्त होता है बशर्ते कि उन देशों की अवसर लागत का अनुपात भिन्न हो। विशिष्टीकरण तथा व्यापार से उत्पादन तथा उपभोग में वृद्धि की आशा की जाती है।

(ii) **निम्न मजदूरी वाले विदेशी श्रम से सुरक्षा–** प्राय: तर्क दिया जाता है कि निम्न-मजदूरी वाले राष्ट्रों से आने वाले सस्ते आयात औद्योगिक देशों के घरेलू उत्पाद को बाज़ार से बाहर निकाल देंगे। इससे औद्योगिक देशों का जीवन-स्तर घटकर उसी निम्न स्तर पर आ जाएगा जो निम्न मजदूरी वाले राष्ट्रों में पाया जाता है।

किन्तु यह तर्क सर्वथा सत्य नहीं है क्योंकि विकसित देशों को अपने अधिशेष घरेलू उत्पादन के निर्यात के बदले निम्न लागत पर आयात प्राप्त होंगे। पारस्परिक लाभप्रद व्यापार तुलनात्मक लाभ पर आधारित है न कि निरक्षेप लाभ पर। निम्न मजदूरी वाले राष्ट्र श्रम-प्रधान वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात में विशिष्टता प्राप्त करते हैं तथा ऊँची-मजदूरी वाले राष्ट्र पूँजी-प्रधान वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात में विशिष्टता प्राप्त करते हैं। यदि ऐसा नहीं भी होता, तो भी ऊँची घरेलू श्रम लागत को प्रभावपूर्ण ढंग से कम किया जा सकता है यदि श्रम की उत्पादकता को निम्न मजदूरी देशों की तुलना में बढ़ाया जाए।

तर्क का दूसरा पक्ष कहता है कि दीर्घकाल में धनी राष्ट्र को सस्ती वस्तुओं के आयात करने तथा निर्यात ना करने से क्षति पहुँचती है। किन्तु आयात प्राप्त करने के लिए उस देश की मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। किन्तु विदेशी विनिमय (मुद्रा) तभी प्राप्त होती है जब या तो वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात किया जाए या इसे उधार लिया जाए। क्योंकि कोई भी देश दीर्घकाल तक ऋण नहीं ले सकता, इसलिए उसके लिए निर्यात करना आवश्यक हो जाता है। अत: व्यापार सदैव दो-तरफा होता है।

(iii) **निर्यातों की प्रचुरता–** जीवन स्तर की बेहतरी एक अन्य तर्क के अनुसार, वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात द्वारा घरेलू आय तथा रोजगार में वृद्धि होती है। अत: आर्थिक सहायता

द्वारा निर्यातों को बढ़ावा देना तथा आयात कर लगाकर आयातों को निरुत्साहित करना, लाभ प्रद है।

यद्यपि स्पष्ट रूप से संरक्षणवाद के पक्ष में यह तर्क युक्तिसंगत है तथापि यह गलत है। नि:संदेह निर्यात घरेलू उत्पाद में मूल्य-वृद्धि करते हैं, किन्तु एक देश में जीवन स्तर उपभोग के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निर्यातों का महत्त्व इसलिए है क्योंकि इनसे आयात करना सरल हो जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं का भुगतान वस्तुओं से होता है तथा मुद्रा का एक देश से दूसरे देश को चलन केवल भुगतान शेष के असन्तुलन का समायोजन करने के लिए होता है। एक देश की मुद्रा दूसरे देश के लिए व्यर्थ होती है, जब तक कि वह उसे पहले देश में वस्तुओं को खरीदने पर खर्च नहीं करता।

(iv) **रोजगार का सृजन**– जिस देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पायी जाती है वह संरक्षण सम्बन्धी नीतियों का समर्थन करता है। तर्क दिया जाता है कि ऐसे देश को स्थानीय उद्योगों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने हेतु विदेशी वस्तुओं पर आयात कर लगाने चाहिए या उनका कोटा निर्धारित करना चाहिए। किन्तु इससे केवल अल्पकाल में ही रोजगार का सृजन हो सकता है। दूसरी ओर जब एक देश के आयात घटते हैं तो अन्य देशों के निर्यातों को क्षति पहुँचती है। इससे शेष विश्व में बेरोजगारी बढ़ती तथा आय घटती है। फलस्वरूप, संरक्षणवादी देश की बनी वस्तुओं की माँग घट जाती है। इसका निहितार्थ देश के निर्यात उद्योग में रोजगार के अवसरों का घटना है। अत: जबकि कम प्रतियोगी संरक्षित उद्योगों में रोजगार बढ़ता है उधर असरंक्षित निर्यात उद्योगों में रोजगार घटता है। इस प्रकार दीर्घकाल में रोजगार की मात्रा में वृद्धि नहीं होगी बल्कि इसका उद्योगों के बीच केवल पुनर्वितरण ही होगा।

वास्तव में, कम कार्यकुशल उद्योग के पक्ष में रोजगार का पुनर्वितरण समस्त उत्पादन के स्तर को गिराएगा तथा जिसके कारण समस्त देश का जीवन स्तर भी गिरेगा।

11.7 सारांश (SUMMARY)

इस अध्याय में यह बताया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार की शर्तों पर आधारित होता है। अनुकूल शर्तों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है तथा प्रतिकूल शर्तों की स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निरुत्साहित होता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्र रूप से तब कहा जाता है जब व्यापार के लिए सरकार के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। लेकिन वर्तमान में स्वतंत्र व्यापार पूर्णरूप से संभव नहीं है। जिसके कारण संरक्षित व्यापार नीति का पालन किया जाता है। संरक्षण व्यापार की नीति के अंतर्गत दो मुख्य प्रकार की बाधाएँ लगाई जाती हैं जिसके अन्तर्गत प्रशुल्क रोकें और गैर प्रशुल्क रोकें मुख्य हैं।

परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्र.1 व्यापार की शर्तों से क्या अभिप्राय है तथा यह किस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती हैं?

प्र.2 स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षित व्यापार के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए।

प्र.3 संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है।